

pan>

Title: Introduction of the Companies (Amendment) Bill, 2018  
(*Amendment of section 135*).

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.”

*The motion was adopted.*

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र :** महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---